

बजट सामाचार

सम्पादकीय

अंतरिम बजट 2019-20

राजस्थान में बच्चों की स्थिति एवं बजट

नव निर्वाचित राज्य सरकार का पहला बजट जो कि अंतरिम बजट है, मीडिया में चर्चा के लिहाज से फीका रहा। बजट में अधिकतर वही घोषणाएं शामिल की गईं जो नई सरकार के कैबिनेट के फैसलों के रूप में सामने आ चुकी हैं। बजट में किसानों की ऋण माफी, बेरोजगारों के बढ़े भत्ते, बुर्जुओं के पेंशन में वृद्धि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 रुपये किलो गेहूँ देने और लड़कियों के लिये विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा मुफ्त करने की घोषणाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिये एक संस्था का गठन तथा वार्षिक ऑडिट कार्यक्रम की घोषणा, नई औद्योगिक नीति तथा राजस्थान निर्यात प्रोन्नती परिषद् का गठन करने, आदिवासी क्षेत्रों में 50 सौर उर्जा आधारित संवर्धन केन्द्र आरंभ करने, 4 नए आवासीय विद्यालय खोलने, मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना में कैंसर, हृदय, श्वास एवं गुर्दा रोगों की नई दवाएं शामिल करने, तथा 600 नए दवा वितरण केन्द्र खोलने की घोषणाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में मनरेगा में पिछले दो महिने में हुई वृद्धि की भी चर्चा की तथा इसके अंतर्गत 9894 ग्राम पंचायतों में न्यूनतम एक चारागाह विकास, सामुदायिक जलाशय विकास, सहित कई कामों की स्वीकृति की घोषणा की है।

ये बजट घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं तथा स्वागत योग्य हैं। हालांकि कई घोषणाओं को तथ्यों के आधार पर परखने की जरूरत है। जैसे 600 नए दवा वितरण केन्द्रों को खोलने का स्वागत किया जाना चाहिये लेकिन स्वास्थ्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही राज्य में फार्मासिस्टों के 45 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। ऐसे में इन केन्द्रों के सफल संचालन का सवाल रह जाता है। हालांकि मनरेगा के बजट में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन मनरेगा के मामले में सवाल बजट से ज्यादा पंचायतों को तेजी से नए काम शुरू करवाने की अनुमति देने का है।

इस अंतरिम बजट में विभिन्न क्षेत्रों को आंवटित राशि की बात करें तो स्वास्थ्य का कुल बजट 13034 करोड़ रुपये है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 7 प्रतिशत अधिक है, वहीं शिक्षा का कुल बजट 40 हजार करोड़ से ऊपर है जो इस वर्ष (संशोधित अनुमान) से 10 प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों (अल्पसंख्यक सहित) का कल्याण मद में बजट पिछले वर्ष से मात्र 2 प्रतिशत अधिक रखा गया है। ग्रामीण विकास के बजट में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र के बजट में कुल 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पोषण के कुल बजट में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के बजट में भी लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि इस वर्ष बुजुर्गों की पेंशन राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।

कृषि क्षेत्र में बजट मुख्यतः सहकारिता में बढ़ा है, जिसके तहत किसानों का ऋण माफी का खर्च भी आता है। इस मद में बजट वृद्धि वर्तमान वर्ष 2018-19 में बजट अनुमान 2,694 करोड़ से बढ़कर संशोधित अनुमान में 3,734 करोड़ हो गया है जिसे आगामी वर्ष के बजट में 3,823 करोड़ रुपये रखा गया है। उसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता में हुई वृद्धि को देखते हुए इस बजट में श्रम एवं रोजगार मद के बजट में भी 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए वर्ष 2019-20 में 1,176 करोड़ कर दिया गया है जो इस वर्ष (2018-19 संशोधित अनुमान) 624 करोड़ रुपये है।

महिलाओं की दृष्टि से देखें तो महिला अधिकारिता विभाग के बजट में 375 करोड़ रुपये से 8.8 प्रतिशत बढ़कर 408 करोड़ रुपये हो गया है। इस वर्ष जेण्डर बजट विवरण के स्वरूप में बदलाव किया गया है तथा अब इसमें योजनाओं/मदों को 4 की बजाय महज 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जो पहले से अधिक सरल है। परन्तु जेण्डर बजट अभी भी विभागवार नहीं देकर बीएफसी वार दे दिया गया है, जिससे इसे समझना बहुत सरल नहीं रह जाता है। इसके साथ ही इस जेण्डर बजट में इस वर्ष भी जेण्डर घटक की राशि का आधार नहीं बताया गया है जिसे वित्त विभाग ने अपने आदेश में जरूरी बताया था। जेण्डर बजट विवरण के भाग 'ए' (जिसमें ऐसी योजनाएं/मद शामिल हैं जिनमें महिलाओं की तरफ कुल खर्च का 70 से 100 प्रतिशत जाता है) में केवल 5,367 करोड़ रुपये ही दिखाए गये हैं, जिनमें से 91 प्रतिशत महिलाओं के लिये खर्च होता है। भाग दो, जिसमें उन योजनाओं/मदों को दिखाया गया है, जिनमें 70 प्रतिशत से कम बजट महिलाओं की तरफ जाता है, में भी शामिल कार्यक्रमों/मदों का कुल बजट केवल 32,047 करोड़ रुपये है, जिनमें से कुल 13,614 करोड़ रुपये महिलाओं के लिये खर्च होते हैं। अर्थात् सरकार के 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये के बजट में से मात्र 18,483 हजार करोड़ रुपये महिलाओं के लाभ के लिये खर्च होते हैं जो कुल बजट का मात्र 8.5 प्रतिशत है। हालांकि जेण्डर बजट विवरण में इस दावे का कोई आधार नहीं दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि यह अंतरिम बजट है। जुलाई माह में सरकार इस वर्ष का पूर्ण बजट लाएगी जिसमें कुछ नई घोषणाएँ की जा सकती है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु पेश किये अंतरिम बजट में राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए "राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना" का प्रावधान किया गया है। यह योजना राज्य में 1 मार्च, 2019 से लागू की जा रही है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। वर्ष 2019-20 हेतु सरकार द्वारा इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। सरकार द्वारा जारी की गई एक विज्ञापित के अनुसार राज्य में करीब 30 लाख लघु एवं सीमान्त श्रेणी के वृद्धजन किसान हैं, जिनमें से करीब 19 लाख किसान वर्तमान में विभिन्न अन्य सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं। ऐसे में शेष करीब 11 लाख लघु एवं सीमान्त वृद्धजन किसान इस योजना का लाभ लेने के हकदार हैं। इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की लघु एवं सीमान्त महिला किसान एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के लघु एवं सीमान्त पुरुष किसान को 750 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु की लघु एवं सीमान्त महिला एवं पुरुष किसान को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास योग्यता के रूप में कृषि भूमि किसान के नाम हो, जिसके लिए तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित भूमि धारण प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही भामाशाह एवं आधार कार्ड होना भी अनिवार्य है। यह पेंशन योजना महिला एवं पुरुष किसानों के लिए है। लेकिन किसान होने के लिए भूमि धारण प्रमाण पत्र देना आवश्यक है, और अधिकतर मामलों में महिला किसानों के नाम पर जमीन नहीं होती है, हालांकि वे अपने परिवार की जमीन पर खेती का काम करती हैं। इसलिए महिला किसानों को इस योजना का लाभ मिलने में समस्या आ सकती है। बंटाईदार किसानों एवं लीज पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलना मुश्किल है क्योंकि इनके मामले में भूमि उनके मालिक के नाम होती है।

भारत में करीब 47.2 करोड़ आबादी 0 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की है, जो देश की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। लेकिन देश में सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर बच्चों की स्थिति काफी खराब है, चाहे वो अधिकार एवं विकास की दृष्टि से हो या सुरक्षा एवं संरक्षण के लिहाज से। हालांकि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1989 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व के करीब 193 देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन देश में आज भी एक तरफ बड़े पैमाने पर बच्चे बाल मजदूरी, बच्चों की तस्करी एवं विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हैं और दूसरी ओर बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु नई "राष्ट्रीय बाल नीति 2013" अपनाई। हालांकि यह नीति बच्चों को राष्ट्रीय संपदा मानकर इनके अधिकारों पर जोर देती है लेकिन देश में केन्द्रीय एवं राज्य बजट का आंकलन किया जाये तो इनके विकास एवं संरक्षण हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया जाता है।

राजस्थान में भी करीब 2.99 करोड़ जनसंख्या (जनगणना 2011) 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की है जो राज्य की कुल आबादी का करीब 43.58 प्रतिशत है। वहीं अगर 0-6 आयुवर्ग के बच्चों की बात की जाये तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में करीब 15.5 प्रतिशत इस आयु वर्ग की है। राज्य में बच्चों की स्थिति काफी कमजोर है एवं राजस्थान की बालिका नीति-2013 के अनुसार राज्य में करीब 12.62 लाख (जनगणना 2001) बाल श्रमिक हैं जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकाएं हैं। राज्य में करीब 22 प्रतिशत लड़कियों की शादी वैधानिक उम्र से पूर्व हो जाती है। इसी प्रकार राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियां भी बेहद खराब हैं एवं अधिकांश बच्चे खराब स्वास्थ्य से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। वर्ष 2017-18 की आर्थिक समीक्षा (राजस्थान) के अनुसार राज्य में करीब 36.8 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं एवं शिशु मृत्यु दर भी 41 (1000 जीवित जन्मों पर) है जो राष्ट्रीय औसत 34 (1000 जीवित जन्मों पर) से अधिक है।

राज्य में बच्चों को केन्द्रीत करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित हैं जो मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पोषण से संबंधित हैं। प्रस्तुत लेख में राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय : राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का आंकलन करने के लिये विभिन्न विभागों में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट को प्राक्कलित किया गया है। जिसको मुख्य रूप से चार क्षेत्रों-शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पोषण आदि में विभक्त किया गया है। राज्य में मोटे तौर पर बाल केन्द्रीत कार्यक्रमों पर कुल बजट की तकरीबन 18 से 20 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है एवं विभिन्न वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव भी देखा जा सकता है। राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1: राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण (राशि करोड़ रु. में)

मद / वर्ष	2017-18 बजट अनुमान	2017-18 संशोधित अनुमान	2017-18 वास्तविक व्यय	2018-19 बजट अनुमान	2018-19 संशोधित अनुमान	2019-20* बजट अनुमान
शिक्षा	25550.98	26597.80	25366.34	32118.71	33744.09	37100.13
बाल संरक्षण	201.33	215.91	211.00	233.85	231.31	253.3
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2353.53	2819.88	2648.42	2792.16	2859.8	3189.5
विकास एवं पोषण	2298.26	2337.44	2181.89	3046.36	3426.5	4064.3
कुल बाल केन्द्रीत बजट	30404.10	31971.03	30407.64	38191.08	40261.7	44607.22
कुल राज्य बजट (उदय के अलावा)	166753.90	175615.12	164472.47	197274.66	197258.9	216932.5
राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत	18.23	18.20	18.49	19.35	20.41	20.56

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

नोट : * वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट के आधार पर

उपरोक्त सारणी द्वारा यह देखा जा सकता है कि इस वर्ष 2019-20 हेतु पेश किये गये अंतरिम बजट में कुल बाल केन्द्रीत बजट करीब 44607.22 करोड़ रु. है जो राज्य के कुल बजट का करीब 20.56 प्रतिशत है। राज्य में बाल केन्द्रीत बजट का क्षेत्रवार आंकलन किया जाये तो वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट की तुलना में 2019-20 में बाल शिक्षा हेतु कुल आवंटित बजट में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जबकि बाल संरक्षण के बजट में करीब 9.5 प्रतिशत, विकास एवं पोषण में 18.6 प्रतिशत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। इस साल (2019-20) के बजट अनुमान के अनुसार कुल राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत गत साल (2018-19) के संशोधित अनुमान के मुकाबले करीब 11 प्रतिशत अधिक है। लेकिन सारणी द्वारा यह भी देखा जा सकता है कि हर वर्ष वास्तविक खर्च, अनुमानित एवं संशोधित बजट के मुकाबले काफी कम रहता है, इससे यह कहा जा सकता है कि सरकार आवंटित बजट को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पा रही है।

बाल केन्द्रीत बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण : जैसा कि पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि बाल बजट का आंकलन करने के लिये राज्य में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य में बाल बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक आवंटन एवं व्यय (करीब 83 प्रतिशत) शिक्षा पर किया जाता है। जबकि स्वास्थ्य (परिवार कल्याण सहित) पर 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष बाल विकास एवं पोषण पर आवंटन किया जाता है। यदि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में से परिवार कल्याण के बजट को हटा दिया जाये तो यह भी 1 प्रतिशत से कम रह जाता है।

राजस्थान में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गैर बजटीय संसाधन

सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों तथा योजनाओं में स्थानीय संसाधनों के अलावा सरकार द्वारा विभागों एवं योजनाओं के माध्यम से कुछ गैर-बजटीय (राज्य बजट में शामिल नहीं) संसाधन रहते हैं जिनका उपयोग स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। अतः आमजन, समुदाय के सभी तबकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, जिला एवं निम्न स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों एवं जमीनी स्तर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थानों/संगठनों को इन संसाधनों, इनके उपयोग के तरीकों एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी जरूर होनी चाहिये। गौरतलब है कि ये गैर बजटीय संसाधन सरकार के बजट में शामिल नहीं रहते हैं इनमें प्रमुख रूप से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास कोष, कैम्पा (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) कोष आदि प्रमुख हैं। इन संसाधनों का उपयोग जिला एवं निम्न स्तर पर विकास संबंधी विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों हेतु किया जा सकता है।

(1) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (District Mineral Foundatin Trust) :

खान एवं खनिज (विकास एवं व्यवस्थापन) अधिनियम खानों के विनियम और खनिजों के विकास के लिए 1957 में बनाया गया था जिसे साल 2015 में संशोधित किया गया। खान एवं खनिज (विकास एवं व्यवस्थापन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के विकास के लिए हर जिले में एक फाउंडेशन की स्थापना की गयी जिसे जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (District Mineral Foundation Trust- DMFT) के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को रॉयल्टी के अलावा जिले के जिला खनिज प्रतिष्ठान को कुछ राशि का भुगतान करना होता है। इसके प्रावधानों के अनुसार 12 जनवरी, 2015 से पहले खनन पट्टे के सन्दर्भ में रॉयल्टी का 30 प्रतिशत एवं 12 जनवरी, 2015 को या उसके बाद प्रदान किये जाने वाले संभावित लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के सन्दर्भ में रॉयल्टी की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को करना होता है।

इस राशि के सही उपयोग और प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के विकास हेतु करने के लिये 2016 में राज्य सरकार ने एक नियम पारित किया जिसके तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक ट्रस्ट, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (DMFT) की स्थापना की गयी। इसका कार्यालय प्रत्येक जिले के जिला परिषद् कार्यालय में होता है। जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास प्राप्त धन का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को संचालित करने हेतु किया जाता है। राज्य के सभी जिलों में डीएमएफटी के अंतर्गत स्वीकृत कुल परियोजनाओं एवं उनमें जारी राशि का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : राजस्थान में डीएमएफटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं राशि

मद	31 मई, 2018 तक की स्थिति के अनुसार
राज्य में डीएमएफटी के अंतर्गत कुल योगदान राशि	4867.04 करोड़ रु.
स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	8583
स्वीकृत परियोजनाओं की कुल राशि	1457.55 करोड़ रु.
वित्तीय स्वीकृती जारी परियोजनाओं की संख्या	3905
वित्तीय स्वीकृती जारी परियोजनाओं की कुल राशि	686.26 करोड़ रु.

स्रोत : विभाग द्वारा 31 मई, 2018 तक की जानकारी के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में दिनांक 31 मई, 2018 तक कुल मिलाकर करीब 4867.04 करोड़ रु. की योगदान राशि एकत्रित हुई है एवं करीब 8583 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इनमें से करीब 3905 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृती जारी करके 686.26 करोड़ रु. की राशि की जारी की चुकी है।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के उद्देश्य:

- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं को लागू करना। ये कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक होंगे।
- खनन क्षेत्र के जिलों में खनन के दौरान और बाद में लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को कम करना।
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए लम्बे समय के लिए टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना।

निधि का उपयोग : पीएमकेकेकेवाई में निम्नलिखित कार्यों/गतिविधियों का समावेश किया जा सकता है:

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र:- पीएमकेकेकेवाई की कम से कम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों/मदों/प्रमुखों के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

- **पेयजल आपूर्ति :** पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए पाइपलाइन बिछाना, केन्द्रीकृत शोधन प्रणाली, जल प्रशोधन संयंत्र की स्थापना।
- **पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय :** जलधाराओं, झीलों, तालाबों, भू-जल एवं अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण का निवारण, खनन संक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायु और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना।
- **स्वास्थ्य देखभाल :** प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं/सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करना एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था पर भी जोर देना।
 - राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध राशि को खनन से सम्बंधित रोगों और बीमारियों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष अवसरचना तैयार करने में उपयोग करना।
 - खनन गतिविधियों एवं कार्यों से संबंधित स्वास्थ्य के खतरों से प्रभावित स्थानीय खान कामकारों के कल्याण, उनके स्वास्थ्य की स्थिति के सुधार और सुरक्षा के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए धन का उपयोग किया जाना। खनन प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सामूहिक बीमा योजना क्रियाविधित करना।
- **शिक्षा:** विद्यालय के भवनों, अतिरिक्त कक्षा-कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्ष, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए आवासीय छात्रावासों का निर्माण, खेल अवसरचना, ई-लर्निंग सेट-अप की व्यवस्था, पोषण संबंधी अन्य कार्यक्रमों और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- **महिलाओं और बच्चों का कल्याण:** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों इत्यादि के लिए विशेष कार्यक्रम इस योजना के अधीन शुरू किये जा सकेंगे।
- **वृद्ध और विकलांग लोगों का कल्याण:** वृद्ध और निःशक्त लोगों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।
- **कौशल विकास:** कौशल विकास केंद्रों का विकास, प्रशिक्षण, स्व-रोजगार योजनाओं का विकास एवं स्वयं-सहायता समूहों को समर्थन।
- **स्वच्छता:** अपशिष्ट के संग्रहण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास, मल-प्रवाह उपचार संयंत्र की व्यवस्था और शौचालयों की व्यवस्था।

अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र :- निम्नलिखित क्षेत्रों/मदों/प्रमुखों के अंतर्गत पीएमकेकेकेवाई की कम से कम 40 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जाना चाहिए।

- **भौतिक मूलद्रांचा:** ढांचागत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं जैसे- सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग का निर्माण करना।
- **सिंचाई:** सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, सिंचाई की उपयुक्त और उन्नत तकनीकें अपनाना।
- **ऊर्जा और वाटरशेड विकास:** ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास तथा वृक्षारोपण।
- खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय करना।

प्रभावित क्षेत्र व व्यक्ति : PMKKKY और राज्य तथा केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले प्रभावित क्षेत्र व व्यक्ति निम्नानुसार होंगे:

प्रभावित क्षेत्र:

(अ.) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र: जहां प्रत्यक्ष खनन संबंधी गतिविधियां/कार्य जैसे उत्खनन, खनन, विस्फोट करना और अत्यधिक भरा हुआ कचरे का मैदान, अपशिष्ट युक्त तालाब इत्यादि अवस्थित हों।

- गांव और पंचायतें जिनके भीतर, खानें अवस्थित और क्रियाशील हों, ऐसे खनन क्षेत्र, पड़ोसी गांव, खंड एवं जिले।
- किसी खान या खानों के समूह के ऐसे दायरे के भीतर का कोई क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा तय किया गया हो।
- ऐसे गांव जिनमें खनन क्षेत्रों से विस्थापित किये गए परिवारों का परियोजना अधिकारियों द्वारा फिर से पुनर्वास किया गया है।
- ऐसे गांव जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यरूप से खनन क्षेत्रों पर निर्भर हैं।

(ब.) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र : वे क्षेत्र जहां स्थानीय जनसंख्या, खनन सम्बन्धी गतिविधियों/क्रियाओं के चलते आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं जैसे जल, मृदा और वायु की गुणवत्ता खराब होना, झरनों की कमी, प्रदूषण इत्यादि।

प्रभावित व्यक्ति: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जो खनन वाली भूमि पर कानूनी एवं वृत्तिक अधिकार रखते हैं और वे भी जो भोगाधिकार एवं पारंपरिक अधिकार रखते हैं।

- प्रभावित परिवारों की पहचान जहां तक संभव हो ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से की जानी चाहिए।
- ट्रस्ट द्वारा ऐसे प्रभावित व्यक्तियों एवं समुदायों की एक सूची तैयार किये जाने का प्रावधान है।

(2) कैम्पा फंड :

स्टेट कैम्पा: राज्य सरकार ने दिनांक 10 जुलाई, 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ "राजस्थान राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण" के रूप में जाना जाने वाला एक प्राधिकरण गठित किया है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता एजेंसियों से एकत्रित धन (क्षतिपूर्ति वनीकरण, दंड क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त अन्य सभी राशियों) का प्रबंधन करना है।

एडहॉक (Adhoc) फंड (उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार स्थापित) में जो राशि होती है उसे भी क्षतिपूर्ति वनीकरण फंड (compensatory afforestation fund-CAF) में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इस फंड को मुख्य रूप से वन क्षेत्र के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण, पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीव संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च किया जाएगा।

किसी राज्य से एकत्रित क्षतिपूर्ति धन का उपयोग केवल उस राज्य के भीतर ही किया जाएगा। यदि वन भूमि का फैलाव कई राज्यों को प्रभावित करता है, तो एक राज्य के लिए आवंटित धन का उपयोग आसपास के राज्यों में किया जा सकता है।

फण्ड का निर्माण: विभिन्न विकास और औद्योगिक परियोजनाएं जैसे कि बांध, खनन और उद्योगों या सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता होती है। किसी भी परियोजना के समर्थक, सरकार या निजी व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण से पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (Clearance certificate) के लिए आवेदन करना होता है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के वन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो परिवर्तित वन भूमि के लिए क्षतिपूर्ति भी मंत्रालय और नियामकों द्वारा तय की जाती है।

वर्तमान में राज्य कैम्पा फंड में उपयोगकर्ता एजेंसियों से क्षतिपूर्ति वनीकरण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण, दंड क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) से एकत्रित धन जमा होता है एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसी एजेंसियों से प्राप्त अन्य सभी प्रकार की राशि भी राज्य कैम्पा फंड में शामिल होता है। इसके अलावा वर्तमान में जो राशि एडहॉक (Adhoc) कैम्पा के अंतर्गत है वह भी राज्य कैम्पा में शामिल की गयी है।

राष्ट्रीय निधि : क्षतिपूर्ति वनीकरण फंड का 10 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा और इस फंड का उपयोग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन करने और उन्हें अनुसंधान, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

राज्य निधि: यह विधेयक देश के वन और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण, सुधार और विस्तार के लिए क्षतिपूर्ति वनीकरण और अन्य गतिविधियों के निष्पादन के लिए राज्यों को संचित राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है।

कैम्पा फंड का उपयोग: राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध धन का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है :

- अनुमोदित एपीओ (Annual plan of operation) के अनुसार वनों और वन्यजीव प्रबंधन के विकास, रखरखाव और संरक्षण के लिए।
- राज्य कैम्पा के प्रबंधन के लिए नियमित व्यय के साथ-साथ अनियमित व्यय, जिसमें राज्य कैम्पा द्वारा निवेश की गयी आय के ब्याज से प्राप्त आय के एक हिस्से का उपयोग करके अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देना शामिल है।
- निगरानी और मूल्यांकन पर किया गया व्यय हर साल खर्च होने वाली राशि का 2 प्रतिशत होना चाहिए।
- वन संरक्षण से संबंधित अन्य परियोजनाओं पर वितरण।

वार्षिक कार्य योजना (Annual plan of operation) :

वार्षिक कार्य योजना (Annual plan of operation) संभागीय स्तर से प्राप्त मांगों के अनुसार बनाई जाती है। सभी विकास खंडों (Blocks) के विभागीय अधिकारी जो कि उप-वन संरक्षक होते हैं, वो अपनी मांगों की सूची अपने संभाग (zone) को भेजते हैं। मुख्य वन संरक्षक जो संभागीय अधिकारी भी होता है वह इन मांगों की पुष्टि करता है एवं इसे राज्य स्तर पर भेजा जाता है। इसके अलावा ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारी सीधे राज्य से भी मांग कर सकते हैं।

क्षतिपूर्ति वनीकरण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण इत्यादि के अंतर्गत सारी राशि का भुगतान खंड स्तरीय कार्यालयों को ऑनलाइन किया जाता है।

सतत् विकास लक्ष्य: भारत और राज्य स्तर पर सरकारी पहल

भारत और अन्य 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने सितंबर 2015 में सतत् विकास के लिए 2030 के एजेंडे को अपनाया। यह एजेन्डा "लोगों, पूरे विश्व और समृद्धि के लिए कार्य योजना" है। 'सतत् विकास लक्ष्यों में 17 मुख्य विकास लक्ष्यों तथा 169 सहायक लक्ष्यों को शामिल किया गया है। सतत् विकास संसाधनों का उपयोग करने का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य है- 'वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार उपयोग करना जिससे प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो'।

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) ने पहले से ही लागू सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों का स्थान ले लिया है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य सन् 2000 में गरीबी और उससे संबंधित मुद्दों को मिताने के लिये एक वैश्विक प्रयास के रूप में शुरू किया गया था। यह विकासवात्मक मुद्दों पर प्रारंभिक प्रयास था। और अब एसडीजी जो की शून्य लक्ष्य माने जाते हैं, जो कि 2000 में शुरू हुए प्रयास को समाप्त करने के लिए एक साहसिक प्रतिबद्धता है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) में जो कार्य अधूरे रह गये थे उन्हें सतत् विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है जैसे कि गरीबी और भूखमारी मिटाना, घातक बीमारियों का उन्मूलन, स्वच्छ पेयजल और घर-घर शौचालय, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार। इनके अलावा सतत् विकास लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करते हैं।

भारत के विकास में एसडीजी का एकीकरण : एसडीजी के पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही भारत उनको हासिल करने की तैयारी में लग चुका था और भारत ने उन्हें आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में एसडीजी की देखरेख की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) को सौंपी गई है जो सरकार द्वारा योजना आयोग को भंग कर बनाया गया है और जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान करने में राज्य प्रमुख साझेदार/सहभागी हैं।

भारत, उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (HLPF) में एसडीजी के लिए प्रगति की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध है जो एसडीजी पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एवं सहायता के लिए बनाया गया एक केंद्रीय मंच है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने देशों में इनके क्रियान्वयन की प्रगति पर अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) प्रस्तुत करें। भारत ने अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 19 जुलाई 2017 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में (HLPF) में प्रस्तुत की जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के तहत प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।

एसडीजी की दिशा में भारत की रणनीति : नीति आयोग ने भारत में एसडीजी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों की पहचान की है :

- मंत्रालयों और सरकारी कार्यक्रमों की पहचान।
- लक्ष्यों और सहायक लक्ष्यों की पहचान।
- हितधारकों के साथ परामर्श।
- एसडीजी के साथ राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लोकप्रिय करना।
- एसडीजी के साथ लिंक की गई योजनाओं का व्यवस्थित क्रियान्वयन।
- परिणाम आधारित निगरानी।

एसडीजी की दिशा में अब तक के प्रयास : एसडीजी क्रियान्वयन की देखरेख के लिए नीति आयोग द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें नीति आयोग, सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (MOSPI), केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के सदस्य शामिल हैं। एसडीजी पर प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का भी गठन किया गया है जिसमें अन्य अधिकारियों के साथ मुख्य सांख्यिकीविद भी शामिल हैं।

नीति आयोग ने अगस्त 2018 में एसडीजी से संबंधित लक्ष्यों और इनसे संबंधित केंद्रीय योजनाओं और मंत्रालयों की मैपिंग की है। एसडीजी के लिए एक राष्ट्रीय सूचक तंत्र भी सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा, नीति आयोग ने 63 प्राथमिक संबंधित लक्ष्यों की पहचान की है और इनके लिए योजना-वार मैपिंग भी की जा चुकी है।

वर्तमान में, राज्यों द्वारा एसडीजी कार्यान्वयन के लिए 6 मापदंडों पर नजर रखी जा रही है। ये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीजी कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की पहचान करते हैं। ये पैरामीटर निम्नानुसार हैं।

- प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विशेष रूप से एसडीजी के लिए एक यूनिट/सेल स्थापित करना।
- प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को वर्तमान में संचालित सरकारी योजना और एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने वाले विभागों की मैपिंग एवं पहचान करना।
- प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को एक विजन और रणनीति/रोड़मैप दस्तावेज विकसित करना होगा जो वर्तमान स्थिति और अंतराल को दर्शाये और 2030 एजेंडे को प्राप्त करने की योजना के बारे में बात करेगा।
- प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को तैयार किए गए रोड़-मैप के साथ अपने बजट को जोड़ना होगा।
- एसडीजी संकेतकों की प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक आईटी आधारित निगरानी तंत्र विकसित किया जायेगा।
- प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को एसडीजी क्रियान्वयन के लिए अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना होगा और इस सम्बंध में प्रशिक्षण आयोजित करने होंगे।

नीति आयोग ने समावेश नामक संदर्भ संस्थानों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क भी विकसित किया है। जो इस दिशा में जानकार एवं अनुसंधान करने वाले संस्थानों को जोड़ेगा। यह विभिन्न हितधारकों के बीच कुशल ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच है। यहां सभी साझेदार एक परिवर्तनकारी नीति सुधार में योगदान देंगे जो 2030 के एजेंडे के अनुरूप होगा।

राजस्थान में एसडीजी कार्यान्वयन : राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए आयोजना विभाग नोडल विभाग है। राजस्थान के जनसांख्यिकीय और सामाजिक आंकड़ों को देखकर स्पष्ट होता है कि यह राज्य भारत में एसडीजी कार्यान्वयन की सफलता को बना या बिगाड़ सकता है चूंकि यह 7.22 करोड़ जनसंख्या वाला सातवां राज्य है। "राजस्थान के सामाजिक संकेतकों में अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक माहौल में बदलाव के साथ यह महत्वपूर्ण है कि राज्य एक नई स्थायी विकास रणनीति अपनाए"।

एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 6 मापदंडों में से राजस्थान ने तीन मापदंडों को अपनाया है। एसडीजी कार्यान्वयन के लिए रणनीति की निगरानी और विकास के लिए नोडल अधिकारियों के साथ परामर्श में एक राज्य स्तरीय समिति/सेल का गठन किया गया है। आयोजना विभाग ने सरकारी योजनाओं और कार्यान्वयन विभागों को एसडीजी लक्ष्यों और नीति आयोग के प्राथमिकता वाले संकेतकों के साथ मैप किया है। एसडीजी को समझने और 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न परामर्श और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। राजस्थान को भी अपने बजट को एसडीजी क्रियान्वयन से जोड़ना बाकी है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तंत्र या एमआईएस विकसित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा विश्व बैंक की साझेदारी में राज्य की सतत् और समावेशी विकास पर एक परिप्रेक्ष्य

रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है। इस दस्तावेज को आधार मानकर 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने के लिए एक विजन और रणनीति/रोड़मैप विकसित किया जा रहा है।

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) की राष्ट्रीय सूची में राजस्थान का प्रदर्शन : नीति आयोग ने 21 दिसंबर 2018 को सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) की भारतीय सूची 2018 जारी की है। यह सूची 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति दर्शाती है। नीति आयोग द्वारा चयनित 62 प्राथमिकता वाले सूचकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक किया गया है। इस सूची में एसडीजी में प्रदर्शन के अनुसार हर राज्य को एक अंक दिया गया है। इन अंकों के आधार पर राज्यों को चार श्रेणियों- एस्पिरेंट/आकांक्षी (0-49), पर्फॉर्मर/निष्पादक (50-64), फ्रंट रनर (65-99), अचीवर/प्राप्तकर्ता (100) में वर्गीकृत किया गया है।

इस रिपोर्ट में राजस्थान को परफॉर्मर राज्यों में स्थान दिया गया है जिसमें राज्य 59 अंकों के साथ 12 वीं रैंक पर है। केवल हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को सूचकांक के आधार पर 'प्राप्तकर्ता' खंड में वर्गीकृत किया गया है। 17 लक्ष्यों में से, 13 के आधार पर भारतीय राज्यों का मूल्यांकन किया गया है। 13 गोलों में से, राजस्थान ने गोल 16 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है जो 100 में से 81 के स्कोर पर शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों के लिए है। इसके अलावा राजस्थान गोल 10 (सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना) में 79/100 स्कोर पर है। और गुणवत्ता शिक्षा की दृष्टि से भी राजस्थान का प्रदर्शन बेहतर है। राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन लैंगिक समानता (गोल 10) में है जिसका स्कोर 37/100 है, इसके अलावा स्वच्छ पेयजल और घर-घर शौचालय (गोल 6) में 43/100 और भूखमारी को मिटाने (गोल 2) में 45/100 तुलनात्मक रूप से प्रदर्शन खराब रहा है।

श्रेणी प्राप्तकर्ता (100)	अंक
श्रेणी फ्रंट रनर (65-99)	
समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को सीखने का अवसर देना	73
देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।	79
सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।	68
सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।	81
श्रेणी पर्फॉर्मर (50-64)	
पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति	59
सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।	63
सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण तथा उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।	57
लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा।	62
श्रेणी एस्पिरेंट (0-49)	
भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।	45
सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।	49
लैंगिक समानता के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।	37
सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	43
सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरों और मानव बस्तियों का निर्माण।	45

स्थानीय स्तर पर एसडीजी क्रियाव्ययन में नागर समाज की भूमिका : एसडीजी विभिन्न हितधारकों जैसे केंद्र एवं राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों, नागरिकों, व्यवसायों तथा उद्योगों और सिविल सोसाइटी संगठनों के बीच एक साझा एजेंडा है। एसडीजी को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक हैं।

- गैर-सरकारी संगठन एसडीजी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सरकारी योजनाओं को सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
- गैर-सरकारी संगठन जागरूकता फैलाने के साथ सूचनात्मक अभियानों और पहलों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।
- एसडीजी, कोई पीछे नहीं रहे के सिद्धांत को अपनाते हुए गैर-सरकारी संगठन नागरिक हितों सीमांत समूहों जैसे कि महिलाओं, बेघर, शरणार्थी समूहों, आदिवासी समूहों के मुद्दों एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य कर सकते हैं।
- गैर सरकारी संगठन विकास संबंधी चुनौतियों और समाधानों पर तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ संचालन गतिविधियों में सीधे भाग ले सकते हैं। सरकारों द्वारा विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं।
- गैर-सरकारी संगठन जवाबदेही के तौर पर कार्य कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार प्रदर्शन मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को लागू कर रही है। कई बार तकनीकी वांछित क्षेत्रों या समूहों तक नहीं पहुंच पाती है, जहां गैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहां डेटा इनपुट के लिए अपनी खुद की तकनीकों का उपयोग सहयोग कर सकते हैं।

पृष्ठ 1 का शेष...

अतः बाल केंद्रीत बजट की अधिकांश राशि शिक्षा एवं संबंधित मदों पर व्यय की जाती है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि राज्य के कुल बाल बजट में बाल संरक्षण पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं में समवित्त बाल संरक्षण योजना (ICPS), बाल श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं। अतः बच्चों के स्वास्थ्य एवं संरक्षण संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियाव्ययन एवं इनको मजबूत करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति एवं बजट

भारत एक संवैधानिक एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जिसके अनुसार देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म, भाषा, संस्कृति को अपना सकता है। देश में धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात की जाये तो हिन्दू धर्म को अपनाने वाले लोग बहुसंख्यक वर्ग में आते हैं तथा अन्य धर्मों को अपनाने वाले लोग अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 2(सी) के अनुसार मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। वर्ष 2014 से जैन धर्म के लोगों को भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर लिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म एवं 14.2 प्रतिशत लोग मुस्लिम धर्म से हैं।

राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए विभाग एवं बजट :

वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है राज्य की कुल जनसंख्या में 78.18 लाख की आबादी अल्पसंख्यक वर्ग की है जो राज्य की कुल जनसंख्या के 11.41 प्रतिशत है। राज्य की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की संख्या 62.15 लाख (9.07 प्रतिशत) है। अल्पसंख्यक समुदाय में साक्षरता दर कम होने, बच्चों की जन्म-मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होने, रोजगार के अवसर कम होने आदि कारणों से ये विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुये हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊँचा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार की तरह अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया। राज्य में चल रही केन्द्र एवं राज्य सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं उनकी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग की है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट आवंटन मुख्य शीर्ष 2202, 2225, 2250, 4225, 6225 के अंतर्गत होता है। नीचे दी गई सारणी में विगत पांच वर्षों में विभाग के लिए आवंटित बजट का विवरण दिया गया है।

सारणी 1: राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट (करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल राज्य बजट*	अल्पसंख्यक विभाग का बजट	राज्य बजट में प्रतिशत	
2015-16	बजट अनुमान	137713.38	102.14	0.07
	संशोधित अनुमान	137455.78	109.62	0.08
	वास्तविक व्यय	129736.02	97.01	0.07
2016-17	बजट अनुमान	151127.75	155.47	0.10
	संशोधित अनुमान	148506.69	155.71	0.10
	वास्तविक व्यय	139727.68	141.55	0.10
2017-18	बजट अनुमान	166753.9	166.49	0.10
	संशोधित अनुमान	175615.12	154.37	0.09
	वास्तविक व्यय	164472.47	129.02	0.08
2018-19	बजट अनुमान	197274.66	180.60	0.09
	संशोधित अनुमान	197258.89	164.98	0.08
2019-20	बजट अनुमान**	216932.55	165.58	0.08

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

नोट : *राज्य का कुल बजट उदय रहित है। **वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट के आधार पर

ऊपर दी गई सारणी में पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए आवंटित राशि का राज्य के कुल बजट में प्रतिशत दिखाया गया है जिससे यह चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है कि पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत से भी बहुत कम रहा है। वर्ष 2017-18 का वास्तविक व्यय (129.02 करोड़) वर्ष 2016-17 (141.55) के वास्तविक व्यय की तुलना में 8.85 प्रतिशत कम है। वर्ष 2018-19 के बजट में अल्पसंख्यक विभाग के लिए आवंटित बजट 180.6 करोड़ रुपये था जो राज्य के कुल बजट का मात्र 0.09 प्रतिशत था। हालांकि वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में इस विभाग के बजट में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेकिन वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में इस विभाग का बजट घटाकर 165.58 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अंतरिम बजट के अनुसार पिछले वर्ष (2018-19) हेतु विभाग के बजट को घटाकर संशोधित अनुमान में 164.98 करोड़ रुपये किया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य योजनाएं एवं बजट :

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊँचा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जैसे कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP), अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना इत्यादि। राज्य सरकार की बजट पुस्तिकाओं से अल्पसंख्यक विभाग के कुल बजट में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं के बजट को देखा जा सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बंधित योजनाओं के बजट का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है

सारणी 2 : राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाएं तथा उनका बजट (करोड़ रु. में)

योजनाएं	बजट अनुमान 2017-18	वास्तविक व्यय 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20*
बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP)	56.49	55.33	62.13	61.18	61.42
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	45.21	0	45.21	0.0001	0.0001
मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना	0.08	0.0072	0.09	0.08	0.5
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.15	0.094	0.17	0.15	0.17
मदरसा स्कूल	73.35	47.43	80.19	73.19	64.35
मदरसा बोर्ड	1.90	1.45	2.09	2.09	1.97
अनुप्रति योजना	0.30	0.0070	0.30	0.20	0.30
अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन	6.63	1.95	5.84	2.53	6.71
अल्पसंख्यक छात्रावासों का संचालन	2.86	1.95	2.39	2.07	2.28
कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	2	2	2	1	2

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

नोट : *वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट के आधार पर

सेवा में,

बुक पोस्ट

श्रीमान/ श्रीमती.....

..... पिन कोड

सारणी 2 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बजट में गत वर्ष (2018-19) की तुलना में इस वर्ष (2019-20) में करीब एक करोड़ रुपये की कटौती की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन मद के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में बजट अनुमान (6.63 करोड़ रु) की तुलना में वास्तविक व्यय (1.95 करोड़ रु) काफी कम रहा है। वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक श्रेणी के बालक-बालिकाओं के लिए चल रही पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवंटित बजट शून्य है। क्योंकि वर्ष 2015-16 से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2015-16 से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा राशि पहले राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाती थी और फिर राज्य सरकार द्वारा राशि को लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित किया जाता था। वर्ष 2017-18 में अनुप्रति योजना के बजट अनुमान (0.30 करोड़) में से वास्तविक व्यय मात्र करीब 2.33 प्रतिशत ही रहा।

विभाग की मुख्य योजनाओं की भौतिक स्थिति :

राज्य में संचालित अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार की मुख्य योजनाओं की भौतिक स्थिति का विवरण नीचे सारणी में दिए गए है।

सारणी 3 : राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाएं तथा उनका बजट (करोड़ रु. में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
मैरिट कम मीन्स योजना	लक्ष्य	1965	1965	1965	-
	उपलब्धि	4150	4133	3972	-
	राशि (लाख में)	1104.44	1130	1070	-
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	लक्ष्य	16371	16371	16371	-
	उपलब्धि	43233	28437	24604	-
	राशि (लाख में)	2989.58	1941.00	1751.00	-
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	लक्ष्य	-	-	-	-
	उपलब्धि	253433	143821	117787	-
	राशि (लाख में)	4476.00	2898.00	उपलब्ध नहीं है	-
अनुप्रति योजना	लक्ष्य	-	-	-	-
	उपलब्धि	41	108	107	4
	राशि (लाख में)	-	30.00	29.13	0.70
कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	लक्ष्य	-	-	-	1070
	उपलब्धि	-	940	2300	597
	राशि (लाख में)	-	100	200	100

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, 2017-18

ऊपर दी गई सारणी से देखा जा सकता है कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना तथा कौशल विकास प्रशिक्षण योजना में ही लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं। वर्ष 2017-18 में अनुप्रति योजना का लाभ केवल 4 छात्रों को मिला है। जबकि पिछले वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में यह संख्या 100 से अधिक थी। वर्ष 2017-18 में कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 1070 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जबकि निर्धारित लक्ष्य के विपरीत 597 लोग ही प्रशिक्षित किये गये।

राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय में विकास कार्य को गति देने की जरूरत है। इसके अलावा उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके क्रियान्वयन में कमी नजर आती है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि विभाग में रिक्त पदों की संख्या बहुत अधिक है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न विभागों में करीब 44 प्रतिशत पद रिक्त हैं। समस्त रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए ताकि कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो सके। अल्पसंख्यक विभाग का बजट राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत से भी कम रहा है और पिछले कई वर्षों से इसी स्तर पर बना है। अतः इसमें बढ़ोतरी की जाए और आवंटित बजट का 100 प्रतिशत उपयोग/व्यय सुनिश्चित किया जाए। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को देखा जाये तो विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित बजट राशि पूरी खर्च नहीं की गयी। जिसके कारण अल्पसंख्यकों के लिए चल रही कई योजनाओं में रखे गए भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का बजट पिछले वर्षों में 60 करोड़ रूपए से आगे नहीं बढ़ा है इसका वास्तविक व्यय इससे भी कम रहा है। जबकि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के कार्य किये जाते हैं। अतः इस कार्यक्रम के बजट में बढ़ोतरी की जानी चाहिये।

संपादक

- नसार अहमद

संपादक मण्डल

- महेंद्र सिंह राव

- नवज्योति राणावत

- ऋषि सिंहा

- नौशाबा खान

- सकील कुरैशी

- शेरल शाह

सहयोग

- अंकुश वर्मा

- भीमसिंह मीणा

सलाहकार

- डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट

पी-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

फोन/फैक्स : (0141) 238 5254

E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barctrust.org